हकीकत उजागर करने की एक कोशिश

अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन द्वारा किए गए एक शोध* का सार संक्षेप

हाल के वर्षों में, मीडिया में इस तरह की खबरें आईं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के लागू होने की वजह से कई निजी स्कूल बंद हो गए हैं या फिर कई अन्य स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। इस कानून के लागू होने के इर्द-गिर्द इस तरह की कहानी गढ़ी जा रही है कि इसकी वजह से लाखों छात्र-छात्रओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारा दावा है कि इस तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं वे सरासर गलत हैं और यह कथन असत्य है। यह हम जमीनी स्तर पर किये गए एक बड़े अध्ययन के आधार पर कह रहे हैं। यह अध्ययन भारत के 8 राज्यों के 69 जिलों में किया गया। इन जिलों में 34,756 निजी स्कूल हैं। हमारे अध्ययन के मुताबिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों का पालन न करने की वजह से केवल 5 निजी स्कूलों को बंद किया गया है और इस तथ्य की तुलना दूर-दूर तक उन बातों से नहीं की जा सकती जो इस कानून के विरुद्ध गुमराह करने के लिए की जा रही हैं। यहां तक कि इन 5 स्कूलों के लिए भी हम पूरी तरह आश्वत नहीं हैं कि इनके बंद होने का कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम ही है।

उपरोक्त पांच स्कूलों को बंद करने के अलावा 69 जिलों में 7156 स्कूलों को नोटिस दिया गया है:

ये नोटिस बिहार में 7000 स्कूलों को (इसमें सभी 38 जिले शामिल हैं) दिए गए हैं, राजस्थान में 105 (9 जिले शामिल), तेलंगाना में 27 (1 जिला शामिल), छत्तीसगढ़ में 21(5 जिले शामिल), कर्नाटक में 2 स्कूल (7 जिले शामिल) और उत्तराखंड में 1 स्कूल (6 जिले शामिल) को दिए गए थे। पुडुचेरी और मध्य प्रदेश के दो जिलों में कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है।

ये नोटिस स्कूलों को बंद करने के लिए नहीं दिए गए हैं। बल्कि इन स्कूलों को वक्त दिया गया है ताकि सब के सब स्कूल समय रहते शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों को पूरा कर लें। उदाहरण के लिए:

बिहार में जो 7000 नोटिस दिए गए हैं वे सब निजी स्कूल हैं और मान्यता की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उनमें से 3000 स्कूलों पर खास ध्यान केन्द्रित कर उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरूप बनाने की गंभीर कोशिश की जा रही है।

राजसमंद के सभी 105 स्कूल मानदंड पूरा करते हैं, इसीलिए किसी भी स्कूल को यहां बंद नहीं किया गया है।

तेलंगाना के मेडक जिले के जिन 27 स्कूलों को नोटिस दिया गया, वे मान्यता प्राप्त नहीं हैं जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक अनिवार्यता है।

बैंगलोर के 2 स्कूलों को नोटिस इसलिए दिया गया कि उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को दाखिला नहीं दिया था।

---

* Right to Education (RTE) Act, 2009 and Private School Closure in India; January 2016, Azim Premji Foundation से साभार।

इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की वजह से बड़े पैमाने पर स्कूल बंद नहीं हुए हैं और छात्रों को कठिनाई का सामना करने की धारणा को फैलाना एक भावनात्मक प्रतिक्रिया को भड़काने की सोची-समझी चाल है। यह बात इसलिए फैलाई जा रही है ताकि स्कूलों को वे बुनियादी मानदंड पूरे न करने पड़ें, जिन्हें कि अक्सर निजी स्कूल पूरे नहीं करते। इसे छुटकारा पाने के लिए एक तर्क के रूप में देखा जा सकता है। आमतौर पर, दुनिया में कहीं भी निजी स्कूलों को कानूनी ढांचे के बाहर काम करने की अनुमति नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मापदंडों का उद्देश्य छात्रों को और साथ ही स्कूलों को सीखने का एक अच्छा वातावरण प्रदान करना है और जो स्कूल वास्ताव में ऐसा वातावरण प्रदान नहीं कर सकते वे बंद हो जाएं तो ही बेहतर है। इस कानून की वजह से ऐसी कोई कठिनाई पैदा नहीं हो रही जैसा कि मीडिया प्रचारित कर रहा है, अगर कानून की अवेहलना करने से कोई निजी स्कूल बंद होता है तो पड़ौस में ही एक सरकारी स्कूल जरूर होगा जो सदैव उपलब्ध रहता है।

शिक्षा के अधिकार की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत में प्राथमिक शिक्षा ने वर्ष 2000-01 के बाद से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), के तहत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता को बढाने के लिए रणनीतिक प्रयास करते हुए एक लंबा सफर तय किया है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य की भारत की सन् 2014 की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि देश ने 2007-08 में 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के 2015 के लक्ष्य को 95 प्रतिशत सीमा तक प्राप्त कर लिया है।

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों का अधिकार है, और यह कानून प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को साकार करने में एक कदम आगे ले जाता है। यह न केवल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है बल्कि यह एक न्यायोचित कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनिवार्य शिक्षा को मुफ्त उपलब्ध करवाने के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21अ (Article 21A) के तहत लागू करने के तौर-तरीके प्रदान करता है और वह राज्यों पर यह दायित्व आमद करता है कि वे इसे लागू करने के लिए उपयुक्त कानून बनाएं। हम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि बच्चे लंबे समय तक स्कूल से बाहर रहेंगे फिर उसके जो भी कारण हों, स्कूलों से उनका 'ड्राप-आउट' जारी रहेगा। यही कारण है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने से बल और विश्वास मिलता है। मुश्किल और बेलगाम हो रही सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में गहरे और व्यवस्थित सुधार की जरूरत है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें उन निजी स्कूलों को भी इस मुहीम में शामिल करने की जरूरत है जो हमारी मिश्रित स्कूली शिक्षा प्रणाली के भीतर काम करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम विभिन्न मानदन्डों एवं प्रणालियों को निर्धारित करता है और स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख करता है कि इन मानदन्डों को पूरा ना करने की स्थिति में किसी भी स्कूल को बंद किया जा सकता है। अधिनियम इस बात को अनिवार्य बनाता है कि सरकारी मान्यता प्राप्त सारे निजी स्कूल चाहे वे सरकारी अनुदान लेते हों या न लेते हों शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन करें। केवल आवासीय और अल्पसंख्यक स्कूलों को ही इससे छूट दी गई है। अगर कोई स्कूल इस अधिनियम के लागू होने से पहले स्थापित हुआ है और अगर वह इसके मानदन्डों को पूरा नहीं करता है तो उसे इन्हें पूरा करने के लिए तीन साल का समय दिया जाएगा और वह समय कानून के लागू होने के समय से गिना जाएगा। अगर कोई भी स्कूल अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करता है और विफल रहता है तो उसकी मान्यता वापस ले ली जाएगी और वह स्कूल अपनी कोई भी गतिविधि नहीं चला सकेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम स्कूलों से बुनियादी मानदंडों को लागू करने, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्कूलों में एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने की उम्मीद करता है जहां वे कुछ सीख सकें। सिर्फ इस आधार पर इस बात का विरोध करना कि इस तरह तो कई निजी स्कूल बंद हो जाएंगे यही दर्शाता है कि हमारी प्राथमिकता ऐसे स्कूलों को किसी भी कीमत पर खुला रखना है ना कि गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना!

इस अधिनियम के प्रावधान 2013 से लागू होने लगे थे और यह वह साल था जब तय की गई 3 साल की अवधि पूरी हो चुकी थी। इसके बाद से ही निजी स्कूलों के बड़े पैमाने पर बंद होने की उस चिंता को प्रकट किया

जाने लगा, जिसका कि ऊपर जिक्र किया गया है। हमने उन जिलों में इसके पीछे की हकीकत को उजागर करने की कोशिश की है जहां हम काम रहे हैं।

हमारे विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष

7 राज्यों और 1 केंद्र-शासित प्रदेश के जिलों में जहां फाउंडेशन कार्यरत हैं, वहां कुल 34,756 निजी स्कूलों में से पांच स्कूल बंद हुए हैं। इन पांच स्कूलों में से चार स्कूल कर्नाटक में बंद किए गए जो कि यादगीर जिले में पड़ते हैं और उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में केवल एक स्कूल बंद हुआ है। यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका कि क्या केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन न करना अकेले इन स्कूलों के बंद होने का कारण था। इसके अलावा, जिन स्कूलों को बंद किया गया है उनके बारे में भी नहीं पता चल सका कि ये 'मान्यता प्राप्त निजी स्कूल' थे या 'गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल'। वैसे भी 'गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों' के पास किसी भी स्थिति में काम करने का लाइसेंस/अनुमति नहीं है।

इन 34,756 निजी स्कूलों में मात्र 21 प्रतिशत (7156) को ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम मानदंडों का पालन न करने पर नोटिस दिया गया। बिहार में भी (लगभग 7,000 स्कूलों को) नोटिस जारी किए गए, लेकिन यह उस प्रक्रिया का हिस्सा थे, जहां 13,500 निजी स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया था। राजस्थान के राजसमंद जिले में 105 निजी स्कूलों को नोटिस इसलिए दिया गया ताकि वे समय सीमा के भीतर शिक्षा का अधिकार अधिनियम मानदंडों को पूरा कर लें। इन स्कूलों ने बाद में मानदंडों को पूरा कर लिया इसलिए उनमें से कोई भी स्कूल बंद नहीं किया गया।

हमारी जानकारी के मुताबिक कई ऐसे भी जिले हैं जिन्हें कोई नोटिस ही जारी नहीं किया गया जबकि वहां गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं।

अगर हम इस तर्क को माने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम निजी स्कूलों को बंद करने में अग्रणी भूमिका अदा करता है तो 2013 के बाद निजी स्कूलों की संख्या में समग्र रूप से कमी दिखनी चाहिए थी। हालांकि वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 के डाइस (DISE) आंकड़ों के अनुसार 35 में से 25 राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है (यह बढ़ोतरी कुल 4 प्रतिशत है)। संख्या में कमी केवल 5 राज्यों और 1 केन्द्र-शासित प्रदेश में आई है।

वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या में 18 प्रतिशत (4565) की कमी आई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि या तो वे अब प्रभावी सुधार लागू करने की वजह से मान्यता प्राप्त कर रहे हैं या फिर वे बंद किए जाने के लायक पाए गए।

हम जहां काम करते हैं उन क्षेत्रों में यह पाया गया है कि वहां सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों में छूट देने के कुछ उदहारण भी मिलते हैं ताकि स्कूलों को उन्हें पूरा करने अथवा लागू करने में सहायता मिल सके।

इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियम-कायदे स्कूल को बंद करवा रहे हैं या गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की पहचान करवा रहे हैं। दोनों ही मामले में यह मान लेना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने से छात्र-छात्राएं भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं गलत होगा क्योंकि राष्ट्रीय लक्ष्य निश्चित रूप से, हमारे बच्चों को घटिया गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना नहीं है।

सार यह है कि दरअसल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त किए जाने की जरूरत है। इसे दो स्तरों पर किए जाने की जरूरत है। पहला मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त दोनों प्रकार के वे निजी स्कूल जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करते उन्हें नोटिस जारी करना और दूसरा उन स्कूलों को बंद करना जो इसके पालन की अनिवार्य अवधि तीन साल के पूरी हो जाने के बावजूद सुधार लाने में असमर्थ हैं। ◆

भाषान्तर : अबु ओसामा